#### RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033 Phone: 0141-2795527, 2795550; Fax: 0141-2795550 Website: www.ruhsraj.org

#### **ASSISTANT DRUG ANALYST RECRUITMENT EXAMINATION 2013**

#### **Information Booklet**

Refer RUHS website (www.ruhsraj.org) for updated and relevant information.

Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur invites on-line applications in compliance of the order no. P9(6)(M&H)/2/97 dated 20.03.2013 of Medical & Health Department (Gr.-2), Govt. of Rajasthan, for direct recruitment of Assistant Drug Analyst.

Please read carefully

- 1) Notification
- 2) Information booklet
- 3) Instructions for filling the on-line application form
- 4) Syllabus etc.

available at the website, before you start filling the application form, on-line.

#### **IMPORTANT DATES**

Start date for filling of on-line application form at RUHS website	05.09.2013
Last date for submitting the on-line application form at RUHS website	25.09.2013 (12.00 midnight)
Date of examination	To be intimated later.
Receipt of printout of the on-line application form (along with RUHS copy of bank challan and all relevant documents)	To be intimated later.

#### **APPLICATION FEE**

All candidates have to pay non-refundable application fee of Rs. 3000/- (Rs. 1500 for SC, ST category) through bank challan at any branch of Oriental Bank of Commerce.

The application fee is neither refundable, nor transferable and nor adjustable for any other recruitments. Any plea in this matter shall not be entertained.

#### **ELIGIBILITY CRITERIA**

#### 1. Educational Qualification

B.Pharm with 3 years experience of analysis of drugs in a laboratory under Govt. Analyst or

possesses Associateship Diploma of the Institution of Chemist (India) obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaceuticals' as one of the subjects with 1 year experience of analysis of drugs in a laboratory under the control of Govt. Analyst

#### 2. Other qualification

Knowledge of Hindi language in devnagri script (lipi) - to read, to write and to speak

#### 3. Age limit

Minimum 22 years and maximum 47 years (as on the date of ADA Recruitment Examination 2013).

The relaxation in upper age limit for reserved category candidates in Rajasthan shall be applicable as per state government rules.

#### **DETAILS OF POSTS**

The details of posts, category wise, are as below:

S.No.	Category	Male	Female	Total
1	SC	01		01
2	ST			
3	OBC			
4	GEN	02		02
Total		03		03

The seats may be increased or decreased by the appointing authority.

#### MARRIAGE REGISTRATION CERTIFICATE

शासन के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह—13 / 2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जमा होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यभार सम्भालने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.7(1) डी.ओ.पी./ए—11/1995/03) दिनांक 08/04/03 अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस बाबत् एक शपथ पत्र चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार सम्भालने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

#### APPLICATION PROCEDURE

Before filling the on-line application form, read the notification, information booklet etc. carefully. Ensure the eligibility and other requirements / criteria for recruitment as given in this booklet.

You should be very careful in filling-up the on-line application form. If any lapse is detected during the scrutiny, your candidature will be rejected even if you come through the final stage of recruitment process or even at a later stage.

IMPORTANT: HAND WRITTEN/TYPED/PHOTOSTAT COPIES/PRINTED APPLICATION FORM/SCREEN PRINTOUT WILL NOT BE ENTERTAINED.

Follow the steps as given in "Instructions to fill up on-line application form" available at the website.

In case you have any difficulty while filling on-line application form, send email to Helpline at ruhsada@gmail.com

On filling Part I of the application form, you can print Bank Challan form to deposit the application fee at any branch of Oriental Bank of Commerce and obtain the same with Bank Transaction ID.

Note the Form no. (User ID) for further steps. Keep it safe.

Ensure that Bank transaction ID is mentioned on all the three slips (by the branch of Oriental Bank of Commerce where you deposit the application fee using your bank challan).

After payment of application fee you can access to Part II of the on-line application form by entering your Form no. and date of birth.

#### **EXAMINATION**

The syllabus for the on-line examination is available at the RUHS website.

The date of on-line examination shall be notified in due course.

There shall be 100 multiple choice questions of one mark each. There shall be no negative marking.

The RUHS reserves the right to create cities / centre(s) for examination and also to call the candidates for the examination at any city / centre.

The details relating to conduct of the examination shall be available at the RUHS website in due course.

Candidates trying to use unfair means shall be disqualified from the recruitment. No correspondence whatsoever will be entertained from the candidates.

You should make sure of your eligibility to the post and that the declaration made by you in the format of application regarding your eligibility is correct in all respects. You will be liable to any legal action and / or termination from the services as may be deemed fit by the appointing authority, Govt. of Rajasthan, Jaipur in case it is found that you have furnished in-correct information or made false declaration regarding your eligibility at any stage or suppressed any information.

The jurisdiction for legal cases arising out of the recruitment process shall be limited to the competent courts at Rajasthan only.

The decision of the RUHS in all aspects and all respects pertaining to the application and its acceptance or rejection as the case may be, conduct of examination and at all consequent stages culminating in the selection or otherwise of any candidate shall be final in all respects and binding on all concerned.

RUHS reserves its right to alter and modify time and conditions laid down in the notification for conducting the various stages up to selection, duly intimating details thereof on the RUHS website, as warranted by any unforeseen circumstances arising during the course of this process, or as deemed necessary by the RUHS at any stage.

# राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प0 9(6) चिस्वा / 2 / 97

जयपुर, दिनांक : 20-3-)

रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर।

विषयः सहायक औषधि विश्लेषक के 3 पदों पर सीधी भर्ती के संबन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयार्न्तगत सहायक औषधि विश्लेषक के रिक्त 3 पदों का विस्तृत विवरण (अर्थना) संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करावें।

> भवदीया क्रिं (अल्पा चौधरी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव





### सीधी भर्ती हेतु अर्थना पत्र

े फार्म सं० ७१/ र./आर.पी.एस.सी.

1 (क) पद का नाम (हिन्दी) में पद का नाम (अंग्रेजी) में

सहायक औषधि विश्लेषक

Assistant Drug Analyst

(ख) भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या

तीन

वर्ग	पुरुष	महिला	योग
1 अनुसूचित जाति	1	4	1
2 अनुसूचित जनजाति	1.15		
3 अन्य पिछडा वर्ग			
। सामान्य वर्ग	2	A <sup>n</sup>	2
मुल योग	3		3

(पद अधीनस्थ सेवा के होने की स्थिति में ही यह कालम लागू होगा)

(ग) भरे जाने वाले पद/पदों का रिक्ति वर्ष

2009-10

1 अधें -

नहीं

2 बहरे और गूगे-

नहीं

3 अस्थि विकृत विकलांग— नहीं

(ओ एल एवं ओ ए)

उ. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा जाति/विकलांग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो पदों को निस्नानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जावे या उक्त जातियों के अभ्यार्थियों से भरा जावे स्पष्ट रुप से उल्लेख करे।

कार्मिक विभाग के परिपन्न दिनांक 22.06.04 के अनुसार यदि आरक्षित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सामान्य अभ्यर्थी से भर दिये जावे।

नोट :- अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये आरक्षित पदों की कुल स्पष्ट संख्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर उपरोक्त भाग में अंकित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।

2 (क) पद राज्य सेवा का अथवा अधीनस्थ सेवा का है

गाना चेता

(ख) पद किस सेवा नियम के अन्तर्गत भरा जाना है

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

सेवा नियम 1963

(ग) पद अथवा पवों की प्रख्यापित {Prescribed} सेवा नियमों के शिड्यूल में अर्प्थाई रुप से यदि समाविष्ठ किया गया हो तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें

3 (क) पद स्थाई है अथवा अस्थाई

अस्थाई

(ख) यदि अस्थाई है तो

. 1

1. पद अस्थाई स्वीकृति की अवधि कब तक की है

2. क्या पद अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है :

3. क्या पद स्थाई की संभावना है

हाँ

(ग) क्या पदो पर तदर्थ नियुक्ति/नियुक्तियां की हुई है, यदि हां तो क्या उनकी नियुक्तियां प्रख्यापित सेवा नियमो के अंतर्गत नई भर्ती (अल्पकालीन विज्ञापन/पदोन्नि/स्थानान्तरण/संविदा (Contact) द्वारा की गई है, कृपया स्पष्ट उल्लेख करें

गई है।

पदो पर अभी तक तदर्थ /

संविदा पर नियुक्ति नही की

- (घ) पद पर कौन कार्य कर रहा है/रहे थे/रहे है तथा : अर्थना के साथ सूची संलग्न करे।
- (ङ) पद /पदों के रिक्त होने के कारण :

4 (क) योग्यताए :— अनिवार्य (हिन्दी) में अनुभव Qualification (Essential) & Experience in English

(ख) योग्यतांए/अनुभव अधिमान्य (हिन्दी) में :

रिक्त

एक पद-पदौन्नति के कारण तथा दो पद नवसृजित होने के कारण

- 1. प्रपत्र संलग्न
- देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान
- योग्यता अनुभव अर्जित करने का सबूत देना होगा।
- देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान

वांछित योग्यता एवं अनुभव आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है।

- नोट :— 1. यदि पद से संबंधित सेवा नियम बने है या पद को संबंधित सेवा नियमों के शिड्यूल में सिम्मिलित नहीं किया गया है तो उसके लिये निर्धारित योग्यता अशुभव आदि के आदेशों की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
  - 2. यदि योग्यता से समकक्ष योग्यता भी हो तो इस समकक्ष योग्यताओ की सूचि संलग्न करे।
  - 3. यदि योग्यताओं में मान्य संस्थाएं संबंधित हो तो उन समस्त मान्य संस्थाओं की सूचि संलग्न करें।
  - 4. यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो ती प्रशिक्षण का पूर्ण उल्लेख करे की वह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया गया है।
- 5 (क) पद का वेतनमान :

वित्त विभाग (रुल्स डिविजन) के नोटिफिकेशन कमाक एफ 11 (7)एफडी (रुल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के रुड्यूल IV के अनुसार PB-3 15300-39100 (15) ग्रेड पे 5400 में निर्धारित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रु. 16800/— प्रतिमाह की दर से दो वर्ष तक परीविक्षा प्रशिक्षण पर। परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की वेतन श्रंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। अंशदायी पेशन योजना परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

(ख) अग्रिम वेतन वृद्धि / उच्च वेतन कितना व किन : परिस्थितियों में नहीं

नोटः— यदि पद नवीन वेतनमान में सम्मिलित नहीं है तो वेतनमान/अग्निम वेतन वृद्धि उच्च वेतन से संबंधित आदेशों की प्रति अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें। 6. आयु (क) आयु सीमा— न्यूनतम एवं अधिकतम

22 वर्ष न्यूनतम एवं 47 वर्ष अधिकतम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.04 के अन्तर्गत।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छुट :--

अनु. जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडी जाति को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट (संलग्न अनुसूची 4 के अनुसार)

- 1. राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गत
- 2. कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प.7(2)कार्मिक / क-2 / 93 पार्ट दिनंक 25.05.2000 के अनुसरण में अन्य पिछडी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा मे 5 वर्ष की छूट देय हागी।
- 3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.09.2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष अन्य पिछडेवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।
- 4. कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प07 (2) कार्मिक/क—2/84 भाग 18 दिनांक 30.04.2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0 अन्य पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

नोट:— आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट संबंधित सेवा नियमों के अनुसार सही—सही भरें। यदि पद से संबंधित सेवा नियम नहीं बने हैं या संबंधित सेवा नियमों में सम्मिलित नहीं हुये हैं तो आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट के आदेशों की प्रतियां अवश्य ही अर्थना के साथ संलग्न करें।

7. पद/पदो से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:--

8. मुख्यालय :-

9. परिवीक्षा काल की अवधि परिविक्षा काल (प्रोबेशन) प्रशिक्षण : (ट्रेनिंग) विभागीय परीक्षा, यदि आवश्यक हो तो उसका विवरण

10. क्या पद पेंशन योग्य है :--

 अवधि जिसके अनंतर्गत आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थी / अभ्यार्थीयों की नियुक्ति की दिनांक से कार्यभा संभालना है।

12. अन्य सुविधाओ यथा निशुल्क निवास विद्युत—जल इत्यादि

औषधि विश्लेषण संबंधित कार्य जयपुर। परीविक्षा काल की दो वर्ष

नहीं, अंशदायी पेशन योजना के अधीन नियुक्ति / पदस्थापित आदेश जारी होने के एक माह में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.7(1) डी.ओ.पी./ए—11/1995/03) दिनांक 08.04.2003 अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति कर्रि लिए पात्र नहीं होगा।

शासन के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह—13/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जमा होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु दिवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों / राजस्थान सेवा नियमों / राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों (Standing Instruction) के अनुसार है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय अनुदेशों (Executive Instructions) के अनुसार अर्थना प्रपत्र भेजने के लिये सक्षम है।

दीन अधिकारी के हस्ताक्षर जनस्याः कर्ता नाम व पद एवं मोहर

11 1 4 4

212

दिनांक:

### राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांकः प० ९(६) चिस्वा / 2 / 97 जयपुर, दिनांक : \ 5 - 5 - \ 3

कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर।

> विषय:-सहायक औषधि विश्लेषक के 3 पदों पर सीधी भर्ती के संबन्ध में।

> संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एफ 11() / प्रवेश परीक्षा शाखा / राज.स्वा. वि.वि. / 2013 / 551 दिनांक 15.4.2013 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में सहायक औषधि विश्लेषक के 3 पदों को भरने के संबन्ध में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S. OCEUT!



# राजस्थान राज-पत्र

Regd. No. RJ. 27/7/93 RAJASTIIAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भावण 25, बुधबार, चाके 1917—अगस्य 16, 1995 Sravana 25, Wednesday, Saka 1917-August 16, 1995

भाग 4

उप-सम्ब (1)

राज्य सरकार तथा बन्या राज्य माविकारियो हारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधिमों खादि को साम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

कामिक विभाग

(II-p;q-II)

प्रधिसूचना

चयपुर, खगस्त 2, 1995

क्षी. एस. झार. 51 :--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परग्तुक द्वारा प्रवत्त शानित को बबोब करते हुए, रालस्थान के राज्यपाल, राजस्यान चिकित्सा एषं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में, इसके हारा, निन्नति खित संशोधन करते हैं, खर्यात् :-

चंशोधन ...

1. उन्त नियमों से संलान दितीय अनुसूची में विद्यमान स्तंप सं. 6 के परवास निम्नसिखित नया स्तंभ सं. १ जोडा जायेगा, अर्थात् .-

2. वक्त नियमों से संलग्न दितीय बनुसूची में कम सं. 6 पर की विवामान प्रविद्धि के परचात् 26-8-85 से, सिवाम क. सं. 10 की प्रविद्धि के, जो कि विनांफ 13-4-1992

1
64
Trans.
- 11
44-
S.
50.00
D-da
10
-
-
वायमा
84
3
- Breez
Bod.
94
E Partie
- Bill
E3
-
407
2000
निस्नितिसि क्रीका
110
Selection .
Ban
app
of the last
15
84
20
. P2°
C.
-6-00
4
是一
14
-
DICY
Exch.
- 10.02
~
- AJ
- Breez
E-w
85
. be
M
ON IT IS
वि प्रभावी
400
Benta

्रांतिय विशेष्य काठन विराय प्रवास काठन विराय कार्याय कार्य	0.	5 (2)	- AR 34	राजस्थान रा	ज-पत्र, ध्रा	Ta 16, 193	<b>3</b> 5	भाग ४ (ग)
ाधि नियंत्रक खंगठन वरिष्ठ पत्र वर्षाय कियंत्रक स्वाप्ति नियंत्रक प्रोप्ति नियंत्रक प्रोप्ति नियंत्रक प्राप्ति स्वयंत्रक नियंत्रक नियंत्रक नियंत्रक प्राप्ति नियंत्रक नियंत्			पवोग्नीति के प्रयोजनार्थं सहाथक प्रौष्टि नियंत्रक और भ्रौष्टांब विश्वेष्ठय का भन्तेप्रचन नियमित वर्षमः क	द्वाधार पर होत्या । यदि श्वेषाकार समान शिलो भोषीय विशेषाक एक मी जानक शोगा क्यों कि वह				
ाधि निवंत्रज बंगठन वरिष्ठ प्रय वर्ष प्राप्तिक प्रय वर्ष प्राप्तिक प्रय वर्षायक प्रौणियि । 100% प्रतिमितिः — प्राप्ति वर्षायक निवेशक वर्षायक वर्षायक । 100% प्रविभित्तिः — विशेषिक व्यक्ति वर्षायक वर्षायक । 100% प्रविभित्तिः — विशेषिक व्यक्ति वर्षायक वर्षायक । 100% स्वित्ते व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति वर्षायक व्यक्ति वर्षायक व्यक्ति वर्षायक व्यक्ति वर्षायक वर्यायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षायक वर्षाय		٥	स्तानम थां - 5 में उत्तिष्टित नदं पर गीथ वर्ष भा		सीमा सी 5 से अधितियाते प्रकार प्रियं पर्यन्ता	शानुमाय हो. इ. में उत्तिमीयल परंपर प्रिय यर्षे का	अस्मयः रहत्मा सं इ.स खिल्लायम् पर पण्डिलायम्	
ाधि निवंजक कंगठन वरिष्ठ प्रव अप प्रीपिध निवंत्रक 100% क्योम्माति सहायक प्रोप्ति वर्षेत्रक सहायक निवंशक प्रकायक निवंशक प्रवायक निवंशक प्रमुख्य प्रवायक्षिता वर्षेत्रक (प्रीपिध व्रवंत्रक्षेत्रक्ष (प्रीपिध व्रवंत्रक्षेत्रक्ष (प्रोपिध वर्षेत्रक्षेत्रक्ष (प्रीपिध वर्षेत्रक्षेत्रक्ष (प्रीपिध वर्षेत्रक्षेत्रक्ष) अप्रविद्यायक निवंशक (प्रीपिध वर्षेत्रक्षेत्रक्ष) अप्रविद्यायक निवंशक (प्रीपिध वर्षेत्रक्षेत्		c	सहीयकः प्रौधि छ नियंत्रक्। खोपिङः निराधिकः		all offer flecthing	महायक योद्धि विश्लेषक	- विधिष तक्रमोक्षी प्रश्विकारी	ता जिलमय-जनम पर ध्या- गोपित जीवधि सौर प्रकामन वियम ३४5 में नियम ४० से सिक्षिम है।
-3 नियंत्रक क्षाठन वरिष्ठ प्र अप ग्रीपधि नियंत्रक नियंत्रक सहापक निवेशक विधि एथं उपभीक्ता बरक्षण (प्रीपधि क्षियंक्रण) रनिष्ठ पर होपछि तिरोज्ञक	3		100% वदोम्मात द्वारी	a til alaspa	ग्राव्ये% पर्वोम्नतिः दार्त	100% पदीरनति. हरिरा	100% पदीरनति डोधर	नियो
	1 -2	शीवधि निवंतक क्षंगठन वर्षिठ वस	7. उप मौजिति नियंत्रक				10. सहायक निवेशक विषि एवं उपजीवता बरस्रज (सीयधि विश्वजा)	

सहायक जीपधि विमलेवक

100% सोक्रो मसी द्वारत

थी. फार्मा और सरकारी विश्लेषक के मधीन किसी प्रयोक्ताला में साच एसोसियेटमिष किस्तोमा भाष मेथन का विश्लेषण" विषय के दी इन्ट टियमन स्रोफ के किस्ट

[संख्या एक. 1 (2) कामिकाक -2/86/31/95]

उ वर्ष का धन्नम्

स्नातक डिम्री। 2. सीवधि विष्ठे क में विधिक तक्षणीक्षी

क्याम्य से विधि

राज्यसम्बन्धं वार्षेत्रा धोर नाम से, . क्. के. पाण्डे, नासन सचिव ।

### DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-Gr.II)

# NOTIFICATION

Jaipur, August 2, 1995

G.S. R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963, namely :-

# AMENDMENT.

1. In the second schedule appended to the said rules after existing column No. 6 the following new column No. 7 shall be added, namely:--

# "REMARKS"

. 2. In the second schedule appended to the said Rules after the existing entry at S. No. 6, the following shall be added with effect from 26-8-85 except the entry of S. No. 10 which shall

95 (6)	राजस्थान राज-यस, झगस्त 1	6, 1995	भाग ४ (ग)
		Part x v	
9			
		Section Continues	
<b>v</b>	**************************************		
As prescribed in Rule 49 of the Drugs and	Cosmetics Rules, 1945 as amended from time to time. by B. pharma recruit- with three years exper- ience of analysis of	Drugs in a Laboratory under Govt. Analyst or posses the Associateship	Diploma of the Institution of Chemist (India)
1 1	100% by direct recruit- ment	•	
JUNIOR POST  11. Drug Inspector 100 % by direct recruitme	12. Asstt. Drug Analyst :		

passing the said examina-

tion with

obtained by

1. Bachelors Degree in Law of a University established by law in India

Legal Tech-nical Asstt, in Drug Control.

Legal Technical 100% by. Officer promotion 13.

of Diugs in a Laboratory "Analysis of pharmaceuti cls" as one Drugs and experience of analysis un fer the control of Govt. Anaof the subjects with опе уеаг

3	, namely: -
	992, п
	13-4-1992,
	from
-	effect
	have

	7	For the purpose of promotion the interlacing of Asst., Drug Controller & Drug Analyst shall be on the basis of length of continuous service after regular selections. If length is equal, the Drug Analyst shall rank Junior as he is coming from another channel.			
	9	Asstt. Drug Five years experience Controller/ on the post mentioned Drug Anal- in Col. No. 5 ystr.	Drug Ins- Five years experience on the pector post mentioned in col. No. 5.	Asstt. Drug Five years experience on the Analyst post mentioned in Col. No. 5	Legal Five years experience Technical on the post mentioned Officer in Col. No. 5
. (1777)	2 3	DRUG CONTROL ORGANISATION SENIOR POST 7. Dy. Drug 100% by Controller promotion 100% by	8." Asstt. Drug 100% by Confroller promotion	9. Drug Analyst 100% by ention promotion	10. Asstt. Director 100% by Legal & promotion Consumer Protection. (Drug Control)

भाग ४ (ग)

95 (8)

राजस्थान राज-पन, धगस्त 16,

3 years experience on the post of Legal Tech-nical Asstts. in Drug Contro." [No. F. 1 (2) DOF/A 11/86 —31—95]
By Order and in the name of the Governor.

Q.R. que, 2 9

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur,



### राजस्थान राज-पव

Regd. No. RJ. 27/7/93 RAJASTIIAN GAZETTE

विशेषाक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

সাবল 25, মুলনার, আই 1917—आस्य 16, 1995 Srayana 25, Wednesday, Saka 1917—August 16, 1995

भाग 4

वत-सम्ब (1)

राज्य सरकार तथा खन्य राज्य माधिकारियो द्वारा जारी किये नेये (सामान्य बादेशों, उप-विधियों धादि को सीम्मिलत करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

कामिक विभाग

(4n-19-II)

प्रधिस्चना

चयपुर, सगस्त 2, 1995

जी. एस. धार. 51 :--- मारत के संविधान के अनुच्छेन 309 के परम्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तिकों का अयोज करते हुए, राजस्थान के राज्यवाल, राजस्थान चिकित्सा एवं क्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में, इसके हुएरा, निन्नति खिर संशोधन करते हैं, खर्यात :--

. संशोधन

1. उन्त नियमों से संसान दितीय अनुसूची में विद्यमान स्तंभ सं. 6 के पश्चात् निम्निखिल नया स्तंभ सं. 7 जोडा जायेगा, अयित् .-

"अञ्युक्तियां"

2. जनत नियमों से संसन्त द्वितीय बनुसूची में कम सं. 6 पर की विद्यमान प्रविद्धि के परवात् 26-8-85 से, सिवाम क. सं. 10 की प्रविद्धि के, जो कि दिनोक 13-4-1992

में प्रचाती क्षोगी, निक्तितिक्षित लीका जायेना, जिल्लीत १– 1	जीवाध निवंत्रक खंगठन वीर्ष्ट पृष	7. उप भौषिधि नियंत्रक 100% वदोलाशि - सहीयकः भौषिधि नियंत्रक। स्सम्म क्षं. 5 में प्रदोगनिक्ति के भूयोजनार्थं सहायक्ष उत्तिक प्रतिकार को प्रतिकार को प्रतिकार को प्रतिकार को प्रतिकार को प्रतिकार के प्रतिकार को प्रतिकार के का भीषि स्वासिक्त क्षान के स्वासिक्त क्षान के	TE SE	होतक - 100% पद्मिनति - स्थानक द्वोदिति विश्लेषक	100% पदोग्नति – विखिष त्रव्याक्षी प्रविकारी	नियंत्रम्) निरोशक
से प्रधाने	जीविध निवं विष्	7. od m	्रे. सहाम्	. स्	10 सहायन विश्व	धरमण (शीप) इतिहरू

सहायक मौपधि विश्लेषक

त्रहायक के वश् पर 3 वर्ष का प्रमुख ।

ह सीवधि क्षियंत्रमा

[संख्या एक. 1 (2) काविकाक -2 | 86 | 31 | 95 ]

have effect from 13-4-1992, namely: --

7	For the purpose of promotion the interlacing of Asst. Drug Analyst. shall be on the basis of length of contimuous service after regular selections. If length is equal, the Drug Analyst shall rank Junior as he is coming from another channel.			
4 5	Asstt. Drug Five years experience Confroller/ on the post mentioned Drug Anal- in Col. No. 5 ystr.	<ul> <li>Drug Ins- Five years experience on the pector post mentioned in col. No. 5.</li> </ul>	— Asstt. Drug Five years experience on the Analyst post mentioned in Col. No. 5.	Legal Five years experience     Technical on the post mentioned     Officer in Col. No. 5
1 2 3	DRUG CONTROL ORGANISATION SENIOR POST 7. Dy. Drug, 100% by Controller promotion 10.25	8./ Asstt. Drug., 100% by Confroller promotion	9. Drug Analyst 100% by	10. Asstt. Director 100% by Legal & promotion Consumer Protection. (Drug Control)

9	5 (6)	राजस्थान राज-	पस, सगस्त	16, 1995		भाग 4 (ग)
7	ı					
			FE S.	5 д		
9		,		•		
		general and a second a second and a second a	*:	approximately and a second of the second of		
9						
	As prescribed in Rule 49 of the Drugs and Cosmetics	as amended from time to time.	B. pharma with three years exper-	analysis of Drugs in a Laboratory under Govt.	Analyst or posses the Associateship	Diploma of the Ins- titution of Chemist (India)
3 4	4		100% by B. direct recruit- wil		An po	
2	UNIOR POST  11. Drug Inspector 100% by direct  recruitmen		12 Asstt. Drug Analyst: d			
1	JUNIOI 11. Pri		12 As An			

1. Bachelors I rree in Law of a niversity established by law in India

obtained by passing the said examination with "Analysis of Drugs and pharmaceuticls" as one of the subjects with one year experience of analysis of Drugs in a Laboratory unfer the control of Govt. Analyst.

 Legal Technical Asstt, in Drug Control.

13. Legal Technical 100% by Officer promotion